

योजनाओं का
शुभारम्भ
10 मार्च, 2016



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

आवेदन की अन्तिम
तिथि
11 अप्रैल, 2016

विभिन्न योजनाओं में EWS / LIG / MIG -A वर्ग के 1669 प्लैट एवं EWS / LIG वर्ग के 1438 भूखण्ड के लिये आवेदन

कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG-A) के लिये निर्मित प्लैट्स तथा कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिए भूखण्डों के आवंटन हेतु आयवर्गानुसार ऑनलाईन आवेदन जविप्रा की वेबसाइट अथवा ई-मित्र कियोरक केन्द्रों के माध्यम से

क्र.सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी	मध्यम आय वर्ग (MIG-A) श्रेणी
1	निजी खातेदारी की योजनाओं में प्लैट	695 प्लैट	840 प्लैट	—
2	प्लैट का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप प्लैट सहित)	350 वर्ग फीट तक	351 से 550 वर्ग फीट तक	—
3	निजी खातेदारी योजना में प्लैट की आवंटन दर	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	—
4	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत प्लैट	85 प्लैट	26 प्लैट	23 प्लैट
5	प्लैट का क्षेत्रफल	325 वर्ग फीट	500 वर्ग फीट	700 वर्ग फीट
6	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत प्लैट की आवंटन दर	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	1100 रुपये प्रति वर्ग फीट
7	निजी खातेदारी की योजना में भूखण्ड	738 भूखण्ड	700 भूखण्ड	—
8	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर	46 से 90 वर्गमीटर	—
9	निजी खातेदारी योजना में भूखण्ड की आवंटन दर	योजना की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत	योजना की आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत	—
9	परिवार की प्रतिमाह सकल आय सीमा (रुपये)	10,000 /— तक	10,001 /— से 15,000 /— तक	15,001 /— से 30,000 /— तक
10	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति प्लैट/भूखण्ड) रूपये	10,000 /—	15,000 /—	20,000 /—

- ◆ आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक सभी योजनाओं के प्लैटों एवं भूखण्डों के लिये आवेदन कर सकेगा।
- ◆ सभी योजनाओं में एक या एक से अधिक प्लैट एवं भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रु. 200 /— एवं प्रशासनिक शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्पों वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा करानी होगी।
- ◆ ई-मित्र कियोरक के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियोरक को प्रशासनिक शुल्क राशि रु. 30,000 /— (आवेदन शुल्क रु. 200 के अतिरिक्त) तक 80 /— एवं 30,001 /— (आवेदन शुल्क रु. 200 के अतिरिक्त) से अधिक प्रशासनिक शुल्क राशि जमा कराने पर ई-मित्र कियोरक को 125 /— अतिरिक्त देय होंगे।
- ◆ योजनाओं में उपलब्ध प्लैटों एवं भूखण्डों की संख्या में लॉटरी से पूर्व कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
- ◆ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर उपलब्ध है।

1.	आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन	20.04.2016
2.	आमजन द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि	21.04.2016 से 06.05.2016 तक
3.	प्राप्त आक्षेपों का सक्षम समिति द्वारा निस्तारण	10.05.2016 तक
4.	प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्रकाशन	13.05.2016
5.	प्लैट/भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र आवेदकों की लॉटरी	18.05.2016